लखनऊ नगर निगम

मा0 कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक दिनांक 12.02.2018 को अपराह्न 12:30 बजे बाबू राज कुमार श्रीवास्तव कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही :—

उपस्थिति :—

1	श्रीमती संयुक्ता भाटिया	मा0 अध्यक्ष/महापौर
2	श्री अरूण कुमार तिवारी	मा0 सदस्य
3	श्री गिरीश कुमार मिश्रा	मा0 सदस्य
4	श्री मो0 सगीर	मा0 सदस्य
5	श्री राज कुमार सिंह	मा0 सदस्य
6	श्री राजेश कुमार मालवीय	मा0 सदस्य
7	श्रीमती रानी कनौजिया	मा0 सदस्य
8	श्रीमती सुनीता सिंघल	मा0 सदस्य
9	श्री सुशील कुमार तिवारी	मा0 सदस्य
10	श्री विजय कुमार गुप्ता	मा0 सदस्य
11	श्री विमल तिवारी	मा0 सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1 श्री राम कृष्ण यादव, उपनेता, भाजपा पार्षद दल

2 श्री सै0 यावर हुसैन ''रेशू'' नेता सपा पार्षद दल

अन्य उपस्थिति :—

1. नगर आयुक्त
2. समस्त अपर नगर आयुक्त
3. मुख्य अभियन्ता
4. नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
7. समस्त जोनल अधिकारी
8. प्रभारी (रेण्ट/समिति)
9. तहसीलदार
10. समस्त नगर अभियन्ता
11. उद्यान अधीक्षक(श्री चौरसिया/श्री गौतम)
12. पशुचिकित्साधिकारी
13. कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0—श्री कमल जीत सिंह)
14. महाप्रबन्धक, जलकल
15. सचिव, जलकल
16. लेखाधिकारी, जलकल

महापौर नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मा0 अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और कहा कि हम आप सबका स्वागत करते हैं। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मा0 महापौर जी की अनुमति से मा0 कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। मैं सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से मा0 महापौर जी का तथा मा0 कार्यकारिणी समिति के सभी नवनिर्वाचित मा0 सदस्यों का तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करता हूँ। मैं अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव को एजेण्डे के अनुसार कार्यवाही शुरू करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि एजेण्डे के विन्दु संख्या–(1) मा0 कार्यकरिणी समिति के उपाध्यक्ष का चुनाव हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। पहले नामांकन होगा।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि मैं उपाध्यक्ष पद हेतु श्री अरुण कुमार तिवारी का नाम प्रस्तावित करती हूँ।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी आज आप प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में मा0 कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता कर रही हैं, बहुत–बहुत बधाई। यह लखनऊ का सौभाग्य है की आप प्रथम महिला महापौर के रूप में लखनऊ की जनता को प्राप्त हुई हैं। इस प्रथम बैठक में मैं अपने सभी मा0 अधिकारियों का सभी, सभी मा0 सदस्यों का, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षदगण का स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि मा0 उपाध्यक्ष के चुनाव में निवर्तमान उपाध्यक्ष को भी रहना चाहिए, जिससे कि वह चार्ज दे सकें। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनकी पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं, उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

श्री विजय गुप्ता ने कहा कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मा0 कार्यकारिणी समिति भंग हो गयी थी। अब नये उपाध्यक्ष का चुनाव होना है।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि उपाध्यक्ष के चुनाव में निवर्तमान उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पार्षद दल के नेताओं को बुलाया जाता रहा है। परम्परा के अनुसार सभी दल के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आज हम लोग अच्छी परम्परा बनाने जा रहे हैं। राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद में यह परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को दिया जाता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने पुनः कहा कि नगर निगम, अधिनियम के अनुसार चलता है, अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अधिनियम के अनुसार चलें।

Scanned by CamScanner

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि आप बहुमत में है तो चुनाव जीतेंगे ही, लेकिन एक आदर्श प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आदर्श नियम–अधिनियम से इतर भी हो सकता है। अगर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है तो एक इतिहास बनेगा। एक आदर्श प्रस्तुत होगा। उच्च सदनों में भी ऐसी परम्परा है।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग इतिहास विकास में बनाएंगे। विकास में आदर्श प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम, लखनऊ में जो पूर्व से परम्परा रही है, उसी के अनुसार चलें। श्री अरुण कुमार तिवारी का नाम उपाध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित हुआ है और अन्य कोई नाम प्रस्तावित नहीं हुआ है, नामांकन का समय समाप्त हो गया है। इसलिए श्री अरुण कुमार तिवारी जी को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार तिवारी जी का श्री राम कृष्ण यादव, उपनेता, भाजपा पार्षद दल ने तथा मा0 सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुआ। मैं श्री अरुण कुमार तिवारी जी को बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पद पर रहते हुए लखनऊ की जनता की मनोभावना के अनुसार विकास कराएंगे। मा0 सदस्यों की सहमति हो तो जनता से जुड़ी सामान्य समस्याओं पर बजट से पहले चर्चा कर ली जाए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि मैं श्री गिरीश मिश्रा जी की बात का समर्थन करता हूँ, पहले सामान्य समस्याओं पर चर्चा हो जाए।

उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार तिवारी जी ने कहा कि पहले बजट पर चर्चा हो जाए, फिर सामान्य चर्चा हो।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि पहले बजट पर चर्चा हो, उसके बाद सामान्य समस्याओं पर चर्चा होगी।

नगर निगम, लखनऊ

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर आयुक्त जी की अनुमति से मूल बजट वर्ष 2018–19 के सम्बन्ध में निम्नवत् अभिभाषण पढ़ा :–

माननीया अध्यक्ष महोदया
एवं
मा0 सदस्य कार्यकारिणी समिति

मान्यवर,

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत दिये गये नियमों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ का मूल बजट वर्ष 2018–2019 राजस्व, पूँजी एवं उच्चन्त लेखा की आय (प्राप्तियां) एवं व्यय के विवरण के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है :–

Scanned by CamScanner

आय पक्ष

(क) राजस्व लेखा :

इस मद मे नगर निगम के विभिन्न स्रोतो से प्राप्त होने वाली आय संकलित की जाती है इसमें आय का मुख्य स्रोत, कर / करेत्तर की वसूली है । मूल बजट में करों की दर का निर्धारण पूर्ववत रखा गया है कोई नया कर नहीं लगाया गया है। शासन की योजना ई–गर्वनेस के अन्तर्गत ई–सुविधा के माध्यम से भी गृहकर वसूली चल रही है जोन वाइज ई–सुविधा के अन्तर्गत गृहकर की धनराशि जमा की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष मे दिसम्बर 2017 तक 8 जोनों की केवल गृहकर की कुल आय रू0 10393.72 लाख हुई है।

इस प्रकार राजस्व लेखों में मूल बजट वर्ष 2018–2019 में राजस्व लेखे में रू0 110090.00 लाख (रुपये ग्यारह अरब नब्बे लाख) की आय का प्राविधान प्रस्तावित किया जाता है।

(ख) पूँजी लेखा :

पूँजी लेखा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य शासकीय कार्यालयों से प्राप्त होने वाली धनराशि को संकलित किया जाता है जैसे–विधायक निधि, सांसद निधि, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं यथा–(स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी व अमृत योजना), अन्त्येष्टि स्थलों का सौन्दर्यीकरण, 14वां वित्त आयोग, डिपाजिट मद समग्र विकास निधि, नगरीय सड़क सुधार योजना एवं अन्य योजनाएं आदि।

इस प्रकार पूंजी लेखा की आय के प्राविधान को मूल बजट 2018–2019 में रु0 73015.00 लाख (रुपया सात अरब तीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

(ग) उच्चन्त लेखा :

इस मद में भी मूल प्राविधान रू0 2702.00 लाख (रुपया सत्ताईस करोड़ दो लाख) का प्राविधान नगर निगम में ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू हो जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों से प्राप्त होने वाली जमानत की राशि नगर निगम बैंक खाते में नगद जमा होने के कारण प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार राजस्व, पूँजी तथा उच्चन्त लेखों की सम्भावित आय के आधार पर मूल बजट 2018–2019 के आय पक्ष में रू0 185807.00 लाख (रुपया अठ्ठारह अरब अठ्ठावन करोड सात लाख) का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है ।

Scanned by CamScanner

व्यय पक्ष

(क) राजस्व लेखा :

इस मद में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास / निर्माण तथा अनुरक्षण/मरम्मत के कार्यों एवं मूलभूत आवश्यक नागरिक सेवाएं यथा- सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, जल निस्तारण एवं नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के लिए अधिष्ठान पर होने वाले व्ययों की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार राजस्व लेखे के अन्तर्गत मूल बजट 2018-2019 में रू0 94022.05 लाख (रुपया नौ अरब चालिस करोड़ बाइस लाख पांच हजार) का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त आवश्यक सेवाओं के लिए निम्नानुसार बजट प्रस्तावित किया गया है :-

(रू0 लाख में)

क्र0	मद का नाम	मूल प्राविधान
1	समस्त अधिष्ठान (पेंशन सहित)मद	31300.00

विकास कार्यों हेतु

1	नाला सफाई	500.00
2	संयंत्र और आकस्मिक व्यय एवं सफाई उपकरण आदि	1000.00
3	पेट्रोल एवं डीजल	2200.00
4	मार्ग प्रकाश	2250.00
5	भवन निर्माण/मरम्मत	400.00
6	सड़क मरम्मत एवं नवीनीकरण	6000.00
7	यातायात ट्रैफिक	500.00
8	शहरी निर्धन	2000.00
9	अन्य (दायित्व सहित)	25000.00
10	अवस्थापना विकास निधि	8000.00
11	स्मार्ट सिटी निगम अंशदान	500.00
	योग	**48350.00**

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

(ख) पूँजी लेखा :

इस मद में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं शासकीय कार्यालयों से प्राप्त धनराशि से किए गए व्यय का संकलन किया जाता है जैसे-14वां वित्त, सांसद निधि, विधायक निधि, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं यथा-(स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी व अमृत योजना), डिपाजिट मद आदि। अतएव मूल बजट 2018-2019 में रू0 73215.00 लाख (रुपया सात अरब बत्तीस करोड पन्द्रह लाख) का व्यय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

Scanned by CamScanner

(ग) उच्चन्त लेखा :

इस मद के अन्तर्गत मूल बजट 2018–2019 में रू0 2701.00 लाख (रुपया सत्ताईस करोड़ एक लाख) का व्यय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, नाला–नालियों और सड़को की सफाई व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को क्रियान्वित कराकर नगर के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प हैं। स्टाम्प शुल्क, 14 वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि, अवस्थापना निधि तथा समग्र विकास योजना आदि से प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुरूप ही विकास को दिशा दिये जाने हेतु व्यय का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय पक्ष में जो सम्भावित प्राप्तियां हो सकती हैं उन्हीं को समाहित करते हुए बजट प्राविधान किए गए हैं। विकास के लिए वार्डों का अविकसित, अर्धविकसित, विकसित में वर्गीकरण करके धनावंटन/ विकास व्यय में मितव्ययिता बरती जायेगी। मार्ग प्रकाश के अन्तर्गत इस प्रकार से व्यवस्था की जायेगी कि मार्ग की चौड़ाई के दृष्टिगत पार्क के चारों कोनों एवं मुख्य चौराहों पर ही सोडियम लाईट/हाईमास्ट एवं सेमी हाईमास्ट की व्यवस्था तथा शेष में ट्यूब फिटिंग आदि लगाकर प्रकाश व्यवस्था करके होंने वाले व्यय में कमी की जायेगी। शहर के खराब मुख्य मार्गों का पुनः निर्माण यथा सम्भव समग्र विकास निधि, अवस्थापना निधि योजना के तहत कराने का प्रयास किया जायेगा ताकि नगर निगम निधि पर आने वाले व्यय भार में कमी की जा सके।

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सुझावों को मूल बजट 2018–2019 में समाहित किया गया गया है। इसी प्रकार पेयजल, जल निकासी, सीवर एवं कूड़ा प्रबन्धन, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

नगर निगम में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन तथा सुप्रशासन सुनिश्चित किया जायेगा। नगर निगम द्वारा जनता को सेवाएं "निर्धारित सर्विस लेविल बेंच मार्क" के अनुरूप दिलायी जायेंगी।

अतएव उपरोक्तानुसार मूल बजट वर्ष 2018–2019 के आय पक्ष में रू0 185807.00 लाख (रुपया अठ्ठारह अरब अठ्ठावन करोड़ सात लाख) में प्रारंभिक अवशेष रू0 42306.62 लाख (रुपया चार अरब तेईस करोड़ छः लाख बांसठ हजार) मिलाकर सकल आय रू0 228113.62 लाख (रुपया बाईस अरब इक्यासी करोड़ तेरह लाख बांसठ हजार) तथा सकल व्यय रू0 169938.05 लाख (रुपया सोलह अरब निन्यान्नबे करोड़ अडतिस लाख पांच हजार) मात्र की प्रस्तावित किया गया है। आय–व्यय के पारस्परिक समायोजनोपरान्त रू0 58175.57 लाख (रुपया पांच अरब इक्यासी करोड़ पचहत्तर लाख सत्तावन हजार) मात्र अंतिम अवशेष

Scanned by CamScanner

के साथ मूल बजट 2018–2019 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/–
(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि बैलेंस शीट मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैलेंस शीट पूर्व में भी मांगी जा चुकी है, लेकिन आज तक प्रस्तुत नहीं की गयी है। पारदर्शिता लानी है तो बैलेंस शीट प्रस्तुत होनी चाहिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि बिना बैलेन्स शीट के बजट प्रस्तुत होना ही नहीं चाहिए।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2015–16 की बैलेन्स शीट तैयार हो गयी है। एनेक्जर के साथ बैलेंस शीट तैयार की जाती है। वर्ष 2016–17 की भी बैलेन्स शीट बन गयी है, केवल कुछ एनेक्जर लगने हैं। बैलेंस शीट तैयार कराकर प्रस्तुत की जाएगी।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि बिना बैलेंस शीट के बजट पास नहीं हो सकता है। पारदर्शिता होनी चाहिए।

नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया कि हम लगे हुए हैं, 15 मार्च, 2018 तक बैलेंस शीट तैयार कराकर प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी 15 मार्च 2018 तक इन्क्लोजर लगाकर बैलेंस शीट सदस्यों को उपलब्ध कराएंगे।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि डाटा डेट–टू–डेट फीड हो रहा है तो एक अप्रैल, 2018 को वित्तीय वर्ष 2017–18 का भी डाटा आ जाएगा।

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरी तरह से पारदशिता होनी चाहिए। कैशबुक व बैलेंस शीट पटल पर रखी जानी चाहिए

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि एक अप्रैल को बैलेन्स शीट देना संभव नहीं है। क्योंकि जोनों का डाटा रोज नहीं आ पाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रोविजनल बैलेंस शीट एक मई, 2018 तक हम देने की स्थिति में होंगे।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि आय दस हजार हो रही है और प्राविधान एक लाख रखा जा रहा है। लक्ष्य पूर्ण होना कैसे सम्भव होगा ? जोनवार देखा जाए तो जोन–2 में वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2017 तक रु0 526.11 लाख की आय दर्शायी गयी है, जबकि मूल बजट वर्ष 2018–19 में रु0 3500.00 लाख का प्राविधान किया गया है, यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा ?

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि पिछले वर्ष रु0 192.00 करोड़ की आमदनी हुई थी, इस बार रु0 350.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

Scanned by CamScanner

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम के सम्पत्ति कर को अगर कायदे से वसूला जाए तो 10 गुना वृद्धि हो सकती है। हाउस टैक्स के लिए लोग जाते हैं जोनों में, टक्कर खाकर चले आते हैं। जोड़–तोड़ किया जाता है। गृहकर जमा करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। छः–छः महीने लोगों को दौड़ाया जाता है। अनुमान के आधार पर गृहकर तय करते हैं। अच्छी तरह से वसूली की जाए तो आमदरी बढ़ सकती है। कोई मानीटरिंग नहीं होती है। इंस्पेक्टर राज है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि पूर्व में समितियां बनायी जाती थीं। मेरा अनुरोध है कि पूर्व की भांति उप समितियां गठित की जाएं। यदि किसी इंस्पेक्टर को फोन करते हैं तो वह बहुत नियम कानून बताता है। फिर भवन स्वामी से पैसे लेकर डीलिंग कर लेता है। तब सारे नियम कानून किनारे हो जाते हैं। इंस्पेक्टर अवैध वसूली करते हैं। श्री विवेक सिंह, इंस्पेक्टर को तत्काल जोन–3 से हटाया जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि तमाम पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया जाए। कितनी शिकायतें आयीं, कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ, एक मास्टर डाटा होना चाहिए। मानीटरिंग की व्यवस्था की जाए।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि म्यूटेशन के लिए कोई अप्लाई करता है तो चार–छः महीने तक कोई कार्यवाही नहीं होती है, भवन स्वामी फीस जेब में लेकर दौड़ते रहते हैं, फीस नहीं जमा होती है। तत्काल फीस जमा करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि रजिस्ट्री मांगी जाती है। नजूल की जमीन पर लोग मकान बनाए हैं, उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। इस पर विचार किया जाए और ऐसे मकानों का असिस्मेन्ट किया जाए।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि एक महिला हमारे पास कई दिनों से आ रही है, उसको नियम कानून बताकर हटला दिया जाता है।

श्री मो0 सगीर ने अवगत कराया कि बाल्मीकि बस्ती, इरादत नगर में तमाम भवनों का असिस्मेन्ट अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि त्वरित निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए समय–सीमा तय होनी चाहिए 30 दिन का समय होना चाहिए। जब तक जवाबदेही नहीं तय होती है, तब तक जनता टक्कर खाती रहेगी।

श्री मो0 सगीर ने पुनः कहा कि विवेक सिंह, इंस्पेक्टर को तत्काल जोन–3 से हटाया जाए। इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाए। कार्यकारिणी समिति की उप समितियों का गठन किया जाए।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि यह बात सही है कि नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत हाउस टैक्स है। प्रापर वसूली और कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जो टैक्स जमा करने आते हैं, उनको टहलाया जाता है। इसमें रिफार्म की आवश्यकता है। पूर्व में स्वकर प्रणाली लागू थी। नगर आयुक्त जी की ओर से एक

Scanned by CamScanner

आदेश जारी हुआ है। यह आदेश अभी केवल रेजीडेन्शियल भवनों के लिए किया गया है। गृह स्वामी फार्म भरकर जमा करेगा। ट्रस्ट एण्ड वेरीफाई नीति लागू की जा रही है। इसका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए, ताकि लोगों को दौड़ना न पड़े।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पैसा तो जमा नगर निगम के बाबू ही करेंगे। उन्होंने पुनः कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया जाए। जनरल सर्वे में मनमाने ढंग से बढ़ाकर इंस्पेक्टरों ने व्यावसायिक मूल्यांकन कर दिया। सोचा होगा फिर बार्गेनिंग करेंगे। जो निगरानी समितियां बनेंगी वह केवल वही विषय देख पाएंगी जो विषय उनके समक्ष आयेगें।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि बढ़ा–चढ़ाकर असिस्मेन्ट किया जाता है, फिर आपत्ति ली जाती है, आपत्ति की सुनवाई भी नहीं होती है। पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी रहती है।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि आठ जोन हैं। आठ कम्प्यूटर आपरेटर तैनात कर आपत्तियां फीड की जाएं, समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो।

नगर आयुक्त जी ने निर्देश दिये कि एक पोर्टल बनाया जाए। आउटसोर्सिंग से एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर हर जोन में टैक्सेसन सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करने के लिए लगाया जाए। मानीटरिंग भी की जाए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि जिनके पास डाक्यूमेन्ट नहीं हैं, उनके मकानों का असिस्मेन्ट करने के लिए क्या व्यवस्था है ?

नगर आयुक्त जी ने कहा कि जिन भवन स्वामियों के पास रजिस्ट्री नहीं है, उन मोहल्लों के नाम लिखकर दे दीजिए, हम तहसीलदार से सर्वे करा करायेंगे, सम्बन्धित मा0 पार्षद से भी सहयोग मिलना चाहिए। सर्वे कराकर यथाशीघ्र कर निर्धारण कराया जाएगा। जो अधिकारी/कर्मचारी वसूली अच्छी करते हैं, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। इसके लिए हम प्लान बनाएंगे। वसूली की और बेहतर व्यवस्था की जाएगी। अपर नगर आयुक्त श्री मनोज कुमार और श्री पी0के0 श्रीवास्तव जी से विचार–विमर्श करके प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि सुधार हो सके।

महाप्रबंधक
नगर निगम, लखनऊ

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि यदि 25 प्रतिशत से अधिक दुबारा भवन निर्माण होता है तो गृहकर पुनः रिवाइज किया जाना चाहिए।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि आपत्ति करने के बाद ए0आर0वी0 कम हो जाती है, लेकिन ब्याज कैसे कम होगा ? ब्याज माफ होना चाहिए।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि आपत्ति के बाद निस्तारण होगा, पुराना ब्याज न लिये जाने का प्राविधान है। 45 दिन में यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो म्यूटेशन हो जाना चाहए। जनहित गारण्टी अधिनियम में भी यही व्यवस्था है।

Scanned by CamScanner

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कैम्प भी लगने चाहिए, ताकि वसूली भी बढ़ सके।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि निगरानी समितियां बनाई जानी चाहिए।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि अधिनियम में यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की भावनाओं सहित प्रस्ताव बनाकर शासन को अग्रसारित किया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि मेरा सुझाव है कि अपर नगर आयुक्तों की देखरेख में वसूली करायी जाए, ताकि आय बढ़ सके।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि बजट मद संख्या–1–2 वाहनों तथा अन्य गाड़ियों पर कर मद में आय कम क्यों हो रही है ?

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि गैर यन्त्र चलित वाहनों पर ही टैक्स लगा सकते हैं इसलिए इसमें आय नहीं बढ़ रही है।

बजट मद संख्या–1–10 प्रेक्षागृहों पर कर मद में रु0 20.00 लाख आय का प्राविधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर रु0 30.00 लाख किाय गया।

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव न कहा कि बजट मद संख्या–2–12 इंसीनरेटर से आय (अस्पताल का सालिड वेस्ट) मद का नाम बायोमेडिकल वेस्ट किया जाए।

सहमति प्रदान की गयी।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि किसी अधिकृत कम्पनी को मेडिकल वेस्ट दिया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि इकोग्रीन के पास मैन पावर नहीं है। तमाम शिकायतें मिल रही हैं।

नगर आयुक्त जी ने अवगत कराया कि यह बात सही है कि उनके पास मैन पावर कम है लेकिन जून, 2017 से फरवरी, 2018 तक एक बार भी प्लान्ट बन्द नहीं हुआ है।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि कार्यदायी संस्था के माध्यम से तैनात संविदा कर्मचारियों को रु0 7500/– न देकर रु0 5500/– दिया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है ? पारिश्रमिक सीधे कर्मचारियों के खाते में भेजा जाना चाहिए।

मा0 अध्यक्ष जी ने आधे घण्टे के लिए भोजनावकाश घोषित किया गया।

मा0 अध्यक्ष द्वारा भोजनावकाश के पश्चात् पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गये।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मा0 सदस्यों ने कहा कि बजट मद संख्या 2–18 (ख) सुदृढ़ीकरण शुल्क मद में आय बहुत कम हो रही है, इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निगरानी समिति गठित की जाए।

सभी जोनों में निगरानी समिति गठित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नक्शा पास करने का अधिकार नगर निगम को मिल सकता है। 74वां संविधान संशोधन लागू कराया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यय पक्ष में रोड कटिंग मद पर चर्चा आवश्यक है। चर्चा करा ली जाए।

नगर आयुक्त जी ने अवगत कराया कि तमाम इलाकों में रातोंरात रोड कटिंग हो रही है, जो संज्ञान में ही नहीं आ पाता है। जिम्मेदार अधिकारियों का दायित्व हम फिक्स करेंगे, लेकिन आज तय हो जाए कि जिस वार्ड में रोड कटिंग होगी, उस वार्ड के अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी और अन्तिम जिम्मेदारी नगर अभियन्ता की होगी। यह निर्णय पूर्व में भी हुआ था।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि अमृत योजना के तहत जल निगम रोड कटिंग करके इण्टरकनेक्शन कर रहा है। रोड कटिंग हो रही है फिर रोड ठीक से नहीं बन रही हैं। पूरे–पूरे वार्ड की रोडें खराब हो रही हैं। मेरा सुझाव है कि जो जल निगम को पैसा दिया जा रहा है, वह पैसा नगर निगम को दिया जाए, रोड कटिंग नगर निगम ठीक करें।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम के सड़क और नाली के स्टीमेट और बिल इण्टरनेट पर अपलोड किए जाएं।

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि रोड कटिंग के सम्बन्ध में क्या कोई शासनादेश है ?

अपर नगर आयुक्त श्री पी0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि शासनादेश है कि जो एजेन्सी रोड कटिंग करेगी, वही एजेन्सी रोड बनायेगी।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि दिनांक 25.08.2017 को हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है। निर्णय में कहा कि कमेटी गठित करके जांच की जाए। जांच रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया जाए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर कनेक्शन किए जा रहे हैं। जल निगम रोड बना रही है, वह ठीक नहीं बना रही है। जल निगम को रोड बनाने का अनुभव नहीं है। रोड नगर निगम बनाए।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि शासनादेश है कि जो संस्था रोड कटिंग करेगी वहीं संस्था रोड बाएगी।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

श्री मो0 सगीर ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की भावनाओं को समाहित करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा जाए कि कार्यदायी संस्था नगर निगम है, नगर निगम रोड बनाए। पैसा नगर निगम को दिया जाए न कि जल निगम को।

अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एल0ई0डी0 लाइट लगाने का प्रस्ताव तीन साल पहले सदन में पास हुआ था। उसी क्रम में टेण्डर आफर हुए, दो कम्पनियां आयीं, एक कम्पनी को नगर निगम ने सेलेक्ट किया। शासन ने निरस्त कर दिया। फिर शासन ने ई0सी0एल0 कम्पनी को सेलेक्ट किया। 40 प्रतिशत लाईटें लग गयी हैं।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि एल0ई0डी0 लाईटें लग रही हैं, वह बहुत खराब हो रही हैं, इन्हें रोका जाए।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि पुरानी लाइटों के लिए नीलामी हेतु शासनादेश हुआ है। नीलामी करने का प्रस्ताव है।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि तमाम लाईटें बुझी पड़ी हैं। 70 प्रतिशत लाईटें जलाने का प्रयास किया जाए। जब तक कम्पनी ढंग से अपना प्लान/कन्ट्रोल रूम/स्टोर रूम नहीं देती तब तक इसको रोका जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि 5–3(ख) मरम्मत और नवीनीकरण मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 90.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रु0 60.00 करोड़ का ही प्राविधान किया जा रहा है। नगर निगम का एरिया बढ़ गया है। प्राविधान विगत वर्ष की अपेक्षा दोगुना होना चाहिए।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि नालों की सफाई होना आवश्यक है। सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। बिजली विभाग की मरम्मत का प्राविधान वही रखा गया है। तमाम मदों में प्राविधान पूर्व वर्ष की भांति रखा गया है और कुछ मदों में कम भी कर दिया गया है। जनहित के कार्यों में पैसा बढ़ाने की बजाय कमी की गयी है।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि नालों की सफाई ठेके पर न कराकर विभाग कराए, काफी पैसा बचेगा।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि श्मशान/कब्रिस्तान मद में प्राविधान बढ़ाया जाए। रु0 10.00 लाख को बढ़ाकर रु0 1.00 करोड़ किया जाए।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि व्यय में 5–3(ख) मरम्मत और नवीनीकरण मद में वार्ड विकास हेतु यथा–अभियन्त्रण, पानी, बिजली और पार्क हेतु रु0 85.00 लाख का प्राविधान पूर्व में किया गया था। इसी मद से पार्षद जनता के कार्य कराते हैं। इसको तीन किस्तों में किया जाए। क्योंकि अन्तिम किस्त का उपयोग नहीं हो पाता है। मेरे विचार से प्रत्येक किस्त रु0 40.00 लाख की, की जाए। इस तरह से प्रति वार्ड विकास हेतु रु0 1.20 करोड़ का प्राविधान किया जाए।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से कटौती हो रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन मद में व्यय बढ़ा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही प्राविधान किया जाए।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से कटौती एवं नगर निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर उचित होगा कि प्रतिवार्ड विकास हेतु रु0 60.00 लाख वार्षिक से अधिक न रखा जाए। भविष्य में जब धनराशि उपलब्ध होगी तब मा0 कार्यकारिणी समिति पुनः इसे रिवाइज कर सकती है।

नगर आयुक्त जी ने निर्देशित किया कि जब तक कार्यकारिणी/सदन की अनुमति न हो तब तक टेण्डर न किए जाएं।

मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पूर्व में जो प्राविधान रु0 85.00 लाख का प्रति वार्ड विकास हेतु किया गया था, वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए उसमें प्रति वार्ड विकास हेतु रु0 10.00 लाख का प्राविधान और बढ़ाते हुए अपेक्षा की जाती है कि हर वार्ड में एक आदर्श मोहल्ला बनाया जाए। प्रतिवार्ड में कुल रु0 95.00 लाख निम्नानुसार वर्गीकृत करते हुए व्यय किया जाए:—

1— सड़क/नाली निर्माण व मरम्मत पर व्यय	—	रु0 70.00 लाख
2— मार्ग प्रकाश पर व्यय	—	रु0 5.00 लाख
3— पार्कों के सौदर्यीकरण व विकास पर व्यय	—	रु0 5.00 लाख
4— पेयजल पर व्यय (रु0 2.00 लाख सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत पर व्यय)	—	रु0 5.00 लाख
5— आदर्श माहेल्ला बनाने पर व्यय	—	रु0 10.00 लाख

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मा0 अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर मंगल को दो जोनों में बैठेगें, लोक मंगल दिवस के रूप में जनता की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। बैठक में क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहेगें।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रति वार्ड विकास के लिए रु0 95.00 लाख का प्राविधान किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस धनराशि को तीन किस्तों में बांट दिया जाए।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि हम पूर्व की भांति चार किस्त में दे पाएगें।

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि 15 प्रतिशत बिलो पर ई टेण्डरिंग हो रही है। इससे काम की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है।

मा0 सदस्यों ने अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2017—18 की वार्ड विकास प्राथमिकता की अवशेष धनराशि रु0 25.00 लाख अवमुक्त की जाए।

Scanned by CamScanner

नगर आयुक्त जी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग डेढ़ माह बचे हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवार्ड विकास हेतु रू0 10.00 लाख से अधिक प्राविधान किया जाना समीचीन नहीं होगा।

मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मार्च, 2018 तक वित्तीय वर्ष 2017—18 की वार्ड विकास प्राथमिकता धनराशि से रू0 15.00 लाख प्रतिवार्ड हेतु अवमुक्त किया जाए।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि बजट पर काफी चर्चा हो चुकी है। नगर निगम मूल बजट पास किया जाता है।

संकल्प संख्या (1) :— विचारोपरान्त सर्वसम्मति से नगर निगम मूल बजट वर्ष 2018— 2019 आय पक्ष में निम्नवत् आंशिक संशोधन सहित अंगीकार किया गया।

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	मद सं0	आय के शीर्षक	प्राविधान	संशोधित प्राविधान
1	1—10	प्रेक्षागृहों पर कर	20.00	30.00
2	2—12	पार्किंग ठेको से आय	800.00	1000.00

मा0 अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि अब जलकल विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाए।

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नवत् बजट अभिभाषण पढ़ा:—

जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ
वित्तीय वर्ष 2018—19 के प्रस्तावित मूल बजट का सारांश

महापौर नगर निगम, लखनऊ

माननीय महापौर/अध्यक्ष महोदय,
एवं
मा0 सदस्यगण कार्यकारणी नगर निगम

मान्यवर,

जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2018—19 के प्रस्तावित बजट को प्रस्तुत करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, पत्रकार बन्धुओं,एवं उपस्थित समस्त बन्धुओं का सादर अभिनन्दन करता हूँ।

जलकल विभाग का मुख्य कार्य लखनऊ नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था का सुचारु रूप से रख—रखाव करना तथा जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था के संचालन हेतु नगर की जनता से जलकर/सीवरकर/जलमूल्य वसूली करना है। लखनऊ नगर की पेयजल एवं सीवर व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, नयी योजनाओं को बनाने उनके क्रियान्वयन का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा

Scanned by CamScanner

जलापूर्ति एवं सीवर सम्बन्धी योजनायें पूरी करके जलकल विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती है उनका रख–रखाव जलकल विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि गोमती नगर–ऐशबाग– द्वितीय जलकल से जुडे क्षेत्रो में जलापूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के जो कार्य जलनिगम द्वारा किये जाते है उनसे सम्बन्धित क्षेत्रो में नयी आय सृजित नहीं होती है साथ ही जलकल विभाग के टैरिफ में मार्च 2001 के बाद कोई बढोत्तरी नही हुई है फिर भी जलकल विभाग नई मागों का सृजन कर और मोहल्ले मोहल्ले कैम्प लगाकर वसूली बढ़ाते हुये अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। समस्त कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को प्रत्येक माह 7वाँ वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन, पेन्शन एवं ए0सी0पी0 लागू कर तदानुसार का भुगतान किया जा रहा है तथा जल एवं सीवर व्यवस्था का सफलता पूर्वक संचालन एवं अनुरक्षण कर लखनऊ नगर की जनता को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद लखनऊ महानगर में जलकल विभाग द्वारा जनता को पेयजल आपूर्ति व सीवर व्यवस्था को चलाने में माननीय महापौर व समस्त माननीय पार्षदो का विशेष सहयोग रहा है जिसके लिये जलकल विभाग उनका आभारी है।

शासनादेश संख्या 380/9–2–2010–58 मिस/2007 दिंनाक 4 फरवरी 2010 द्वारा लखनऊ जल संस्थान का विलय नगर निगम में हो चुका है। उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत जलकल विभाग का प्रस्तावित बजट 2018–19 माननीय कार्यकारणी नगर निगम के समक्ष निम्नानुसार विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

आय पक्ष

आय पक्ष में जलकल विभाग को जलकर/सीवरकर/जलमूल्य आदि मदों से प्राप्त होने वाली आय को संचालन आय के मद में व शासन से प्राप्त होने वाले ऋण, अनुदान डिपाजिट फण्ड आदि को असंचालन आय के मद में पृष्ठ संख्या 21 से 24 पर दर्शाया गया है जिसका सक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

(अ) <u>संचालन आयः–</u>

इस मद में जलकर, सीवरकर, जलमूल्य विकास शुल्क आदि से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया गया है। वर्ष 2017–18 में इस मद में प्रारम्भिक अवशेष प्रारम्भिक अवशेष सम्मिलित करते हुए कुल आय रू0 254.95 करोड़ प्राविधानित थी जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2017 तक कुल आय रू0 118.50 करोड़ प्राप्त हुई। वर्ष

Scanned by CamScanner

2018–19 हेतु रू0 278.67 करोड़ आय प्रस्तावित की गयी है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	मद का नाम	2018–19 हेतु प्रस्तावित आय
	प्रारम्भिक अवशेष	12.80 करोड
1	जलकर	146.95 करोड
2	जलमूल्य	25.58 करोड
3	मीटर भाड़ा	0.07 करोड
4	सीवर कर	20.77 करोड
5	विकास शुल्क	2.50 करोड
6	अन्य	5.00 करोड
7	विघुत बिलों हेतु शासकीय देयता	65.00 करोड
	योग:–	**278.67 करोड**

(अ) असंचालन आय:

इस मद में शासन से प्राप्त अनुदान, रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त ऋण, अन्य कार्यो हेतु डिपाजिट फण्ड आदि से प्राप्त होने वाली राशियों को शामिल किया गया है। वर्ष 2017–18 में इस मद में कुल असंचालान संशोधित आय हेतु रू0 49.33 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2017 तक कुल प्राप्तियॉ रू0 49.06 करोड़ थी। प्रस्तावित बजट 2018–19 हेतु इस मद में रू0 19.75 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं

व्यय पक्ष

जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था का रख रखाव करता है। योजनाओं को बनाना उनका कियान्वयन करने का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता है। व्यय पक्ष के संचालन व्यय मद में अधिष्ठान, ऊर्जा, पूर्तिया, मरम्मत आदि तथा असंचालन व्यय मद के अन्तर्गत डिपाजिट फण्ड ग्रान्ट, लोन व छोटे–छोटे पूॅजीगत व्ययों को दर्शाया गया है।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

(क) संचालन व्यय:–

इस मद में वर्ष 2017–18 में रू0 227.25 करोड़ का प्राविधान था जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2017 तक रू0 105.69 करोड का व्यय हुआ। वर्ष 2018–19 हेतु रू0 295.02 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	मद का नाम		2018–19 हेतु प्रस्तावित व्यय
1	अधिष्ठान व्यय		181.30 करोड
2	विघुत एवं ऊर्जा		70.00 करोड
3	पूर्तियॉ एवं		12.42 करोड

Scanned by CamScanner

	रसायन		
4	सामान्य मरम्मत		23.05 करोड
5	अन्य		4.65 करोड
6	देय व्याज		3.54 करोड
7	उपकर		0.05 करोड
	योगः—		**295.01 करोड**

उपरोक्त कुल व्यय में यदि विद्युत व्यय एवं देय व्याज की राशि रू0 73.54 करोड़ (70.00+3.54 करोड़) को कुल प्रस्तावित संचालन व्यय से हटा दिया जाये तो संचालन व्यय रू0 221.47 करोड़ रू0 (295.01—73.54 करोड़) ही बनता है तथा संचालन आय रू0 213.67 करोड़ (278.67—65.00 करोड़) है। इस प्रकार आय की व्यय पर वास्तविक कमी रू0 7.80 करोड़ है।

(ख) असंचालन व्ययः—

इस सम्बन्ध में ऋण एवं मूलधन की वापसी, पुँजीगत व्यय, डिपाजिट कार्य, लोन व अनुदान से सम्बन्धित व्ययों को शामिल किया गया है। वर्ष 2017—18 हेतु इस मद में रू0 16.98 करोड प्राविधानित था परन्तु डिपाजिट फण्ड व चौदवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने के कारण संशोद्धित अनुमान रू0 43.89 करोड़ है। जिसके जिसके विरूध दिसम्बर 2017 तक कुल वास्तविक व्यय रू0 20.67 करोड़ हुआ। वर्ष 2018—19 हेतु इस मद में रू0 36.43 करोड प्रस्तावित है।

जलकल विभाग का वित्तीय वर्ष 2018—19 का मूल बजट माननीय कार्यकारणी नगर निगम के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/—
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग,
लखनऊ

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि कोई नया कर नहीं लगा है इसलिए जलकल विभाग का बजट पास किया जाए।

मा0 अध्यक्ष ने घोषणा की कि जलकल विभाग का बजट भी पास किया जाता है।

संकल्प संख्या (2) :— विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जलकल विभाग के मूल बजट वर्ष 2018—2019 को यथावत् अंगीकार किया गया।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि ट्यूबवेल आपरेटरों को पारिश्रमिक बहुत कम है, बढ़ाया जाए। उनका शोषण हो रहा है।

Scanned by CamScanner

मद सं0 (4) :— अमीनाबाद क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाये रखने हेतु हनुमान मंदिर के निकट विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—1)

संकल्प संख्या (3) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (5) :— झूलेलाल पार्क के आवंटन हेतु निर्धारित किराये में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—2)

संकल्प संख्या (4) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (6) :— स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लखनऊ पेयजल योजना के तहत अमीनाबाद क्षेत्र में भूमिगत जलाशय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—3)

संकल्प संख्या (5) :— सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (7) :— ग्राम अमराई गाँव की खसरा संख्या—763 पर प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—4)

संकल्प संख्या (6) :— सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (8) :— फैजुल्लागंज हरदोई बाईपास रोड आई0आई0एम0 रोड प्रबन्ध नगर क्षेत्र में नवीन 132/33 के0वी0 एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

(परिशिष्ट—5)

संकल्प संख्या (7) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (9) :— शासनादेश संख्या—1485/नौ—9—2012—161ज/12दिनांक 15.10.2012 व शासनादेश सख्या—286/नौ—9—2014—161ज/12 तथा शासनादेश संख्या—1263/नौ—9—2012 —47ज/15 के अनुसार 4जी ब्रॉडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान करने हेतु जी0बी0एम0 स्थापना के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—6)

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (8) :— सर्वसम्मति से प्रस्ताव मा0 सदन को संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 (10) :— शासनादेश संख्या–1263/नौ–9–2016–47ज/15 दिनांक 16.11.2016 के अनुसार लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों पर ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट(मोनापोल जी0बी0एम0) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–7)

संकल्प संख्या (9) :— सर्वसम्मति से प्रस्ताव मा0 सदन को संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 (11) :— दौलतगंज वार्ड के लुनियन टोला में अनुपयोगी शौचालय के स्थान पर कल्याण मण्डप निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–8)

संकल्प संख्या (10) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (12) :— ग्राम औरंगाबाद खालसा में नगर निगम की ओमेक्स सिटी से अंतरित 5.09 हेक्टेयर भूमि पर निर्माणाधीन आवासीय व व्यावसायिक परियोजना कार्यान्वयन हेतु ₹ 100 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–9)

संकल्प संख्या (11) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (13) :— ग्राम औरंगाबाद खालसा में नगर निगम की ओमेक्स सिटी से अंतरित 5.09 हेक्टेयर भूमि पर निर्माणाधीन आवासीय व व्यावसायिक योजना नामकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–10)

संकल्प संख्या (12) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 (14) :— अमीनाबाद झण्डेवाला पार्क की बाउण्ड्री के साथ एवं चारबाग चुंगी स्थल पथ विक्रय स्थल निर्माण के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–11)

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (13) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने हेतु पूर्व में गठित टाउन वेंडिंग कमेटी को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 (15) :— नगर निगम जोन—5 में सहसोबीर मंदिर की बाउन्ड्री के साथ एवं नहर के किनारे उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड परिसर की बाउन्ड्री के समीप रिक्त भूमि पर व्यावसायिक दुकानों की मार्केट निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित आख्या के तहत नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—12)

संकल्प संख्या (14) :— सर्वसम्मति से प्रस्ताव मा0 सदन को संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 (16) :— ग्राम औरंगाबाद खालसा में नगर निगम की ओमेक्स सिटी से अंतरित 5.09 हेक्टेयर भूमि पर निर्माणाधीन आवासीय व व्यावसायिक योजना, ग्राम पारा में प्रस्तावित तीन आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं, फैजाबाद रोड चुंगी व रैनबसेरा के पुराने जर्जर भवन स्थल पर व्यावसायिक योजना एवं नगर निगम जोन—8 कार्यालय परिसर व्यावसायिक योजना के पंजीकरण व आवंटन प्रक्रिया सम्पादन हेतु उपसमिति गठन हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—13)

संकल्प संख्या (15) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उप समिति के गठन हेतु मा0 महापौर जी को अधिकृत किया गया।

मद सं0 (17) :— नगर निगम सीमा में स्थित नव निर्मित अपार्टमेन्ट के ऐसे फ्लैट्स जिनकी रजिस्ट्री पुराने भवन स्वामी अथवा बिल्डर के द्वारा क्रेता को की गयी है, क्रेता से ₹5000—00 नामांकन शुल्क जमा कराते हुए क्रेता के पक्ष में नगर निगम अभिलेखों में नामांकन एवं कर निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 05.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 05.02.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट—14)

संकल्प संख्या (16) :— उक्त प्रस्ताव पर समुचित विचार—विमर्श करने हेतु उपाध्यक्ष, मा0 कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया जो जनहित एवं नगर निगम हित में प्रस्ताव का परीक्षण करके अपनी आख्या एवं संस्तुति मा0 कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मद सं0 (18) :— नगर निगम द्वारा संचालित कल्याण मण्डपों के किराये में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 05.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट—15)

संकल्प संख्या (17) :— उक्त प्रस्ताव पर समुचित विचार—विमर्श करने हेतु उपाध्यक्ष, मा0 कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया

Scanned by CamScanner

जो जनहित एवं नगर निगम हित में प्रस्ताव का परीक्षण करके अपनी आख्या एवं संस्तुति मा0 कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद सं0 (19) :— केन्द्रीय कार्यशाला के सेवानिवृत्त फोरमैन श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी का पुनः दिनांक 01.03.2018 से नियमित अभ्यर्थी के चयनित होने तक कार्यकाल बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार भविष्य में अतिरिक्त वृद्धि के अधिकार का प्रतिनिधायन नगर आयुक्त के स्तर से किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 06.02.2018 के क्रम में मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 07.02.2018 के तहत प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(परिशिष्ट—16)

संकल्प संख्या (18) :— सर्वसम्मति से अन्तिम रूप से केवल तीन माह के लिए कार्यकाल बढ़ाये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति की अनुमति हेतु शासन को पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव सं0 (1) :— मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत लखनऊ नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन विकासकर्ता चयन के सम्बद्ध में निम्नवत् प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ परस्तुत किया गया।

विषयः लखनऊ नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन विकासकर्ता चयन हेतु प्रस्ताव।

महापौर नगर निगम, लखनऊ

<u>प्रस्ताव</u>

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व अन्य वाह्य वित्तीय संस्थाओं के दिशा निर्देशानुरूप परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी परामर्शी व विकासकर्ता चयन हेतु मानक माडल आरएफपी व आरएफक्यू डाक्युमेन्ट तैयार कराये गये हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम के दयानिधान पार्क, झण्डीपार्क एवं अमीनाबाद पार्क की भूमिगत पार्किंग हेतु स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन हेतु उक्त के अनुरूप आरएफपी परामशी फर्म द्वारा तैयार कर प्रस्तुत आरएफपी में उपरोक्त योजना कार्यान्वयन के साथ 5 वर्ष की अवधि हेतु संचालन व अनुरक्षण के कार्यों के मुख्य विवरण निम्नवत् हैं :—

1. Andriod based Handheld Parking Management System.
2. Boom Barrier.
3. CCTV Camera

Scanned by CamScanner

4. Storage for CCTV(NVR)
5. CCTV Camera Switches.
6. Ultasonic Sensors with indicator.
7. Zone Controller.
8. Floor Controller.
9. Master Processing Unit.
10. Parking Kiosk with Server & Monitor.
11. Public Announcement System.
12. Signage Board.
13. Display Board.
14. Auto Pay Station.
15. Video Wall for Control Room(medium size)

तकनीकी परीक्षोपरान्त विधिक परीक्षण के पश्चात् संशोधित आर०एफ०पी० के आधार पर ई–निविदा द्वारा आर.एफ.पी. का तकनीकी परीक्षण, खोले जाने एवं मूल्यांकन के अनुसार विकासकर्ता चयन सम्बन्धी संस्तुति के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–20/जीएम/पी/एलएससीएल/17–18, दिनांक 03.07.2017 द्वारा समिति का गठन किया गया।

निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 29.07.2017 के एजेण्डा क्रमांक 4 (6) में पारित संकल्प के अनुपालन हेतु पीएसमसी फर्म द्वारा तैयार किये गये आरएफपी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा अनुमोदित आरएफपी के क्रम में दिनांक 29.11.2017 को ई–निविदायें व हार्डकापी निविदायें प्राप्त की गयी। पीएमसी फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 07.12.2017के क्रम मे दोनों फर्मो द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार मेसर्स मुकेश इंटरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा प्राप्त 96/100 अंक एवं M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore द्वारा प्राप्त 100/100 अंक न्यूनतम अर्हता के 70 अंकों के सापेक्ष अधिक होने के आधार पर दोनों फर्मे तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर समिति की संस्तुति के अनुसार दोनों फर्मो की वित्तीय ई–निविदायें दिनांक 12.12.2017 को खोली गयी हैं।

महापौर
नगर निगम, लखनऊ

दोनों फर्मो की वित्तीय ई–निविदाओं के पीएमसी फर्म द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

S.N	Criteria	Financial Bid Submission	
		M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore	M/s Mukesh Enterprises, Lucknow
1.	We have agreed to pay LSCL a monthly Concession Fee as -- percentage of revenue earned (=Gross Revenue minus service taxes as applicable) which will be provided to LSCL. We will pay to LSCL every month the Concession Fee as quoted above throughout the concession period from the date of signing of agreement and handing over of the parking sites whichever is later), subject to minimum concession fee as INR 40,00,000/-(Rupees Forty Lakhs only) per annum.	42%	81.80%

Scanned by CamScanner

उपरोक्त के आधार पर निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2017 के निर्णयानुसार समिति की संस्तुति के क्रम में नगर आयुक्त/मुख्यकार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 15.12.2017 के क्रम में फर्म को बैंक गांरटी प्रस्तुत कर अनुबंध कराये जाने हेतु सूचना पत्र–66/जीएम/पी/एलएससीएल/17–18, दिनांक 16.12.2017 निर्गत किया गया है।

आपके संज्ञान में लाना है कि नगर निगम द्वारा संचालित अमीनाबाद के झण्डेवाला पार्क, नगर निगम के सामने स्थित झण्डीवाला पार्क व दयानिधान पार्क की भूमिगत पार्किंग का संचालन पूर्व सैनिकों द्वारा वर्ष 2014 से सितम्बर, 2017 तक किया गये हैं इसके पूर्व तथा इसके पश्चात वर्तमान में इनका संचालन स्वयं नगर निगम द्वारा अपना स्टफ लगाकर किया जा रहा है इन कार्मियों के वेतन पर किये गये व्यय तथा अन्य संचालन व्यय के सापेक्ष वर्षवार तीनों पार्किंग स्थलों के आय के विवरण (रु. लाख में) निम्नवत् है :–

क्र0सं0	पार्किंग स्थल	2013	2014	2015	2016	2017	दिसम्बर 2017
व्यय विवरण							
	वेतन मद	40.08	62.54	74.06	82.41	88.40	63.33
	अन्य संचालन व्यय	1.74	2.12	2.39	2.50	2.53	1.85
	योग	41.82	64.66	76.45	84.91	90.93	65.18
अन्य विवरण							
	झण्डेवाला पार्क	84.04	85.26	86.05	83.60	83.20	58.35
	झण्डीवालाल पार्क	2.06	15.71	19.77	25.30	26.92	19.21
	दयानिधान पार्क	0.98	4.82	13.81	16.14	16.53	14.97
	योग	87.09	105.79	119.64	125.04	126.65	92.53
शुद्ध आय (आय–व्यय अन्तर)		45.26	41.13	43.18	40.14	35.71	27.35
अन्तर प्रतिशत		51.97%	38.88%	36.09%	32.10%	28.20%	29.56%

महाप्रबंधक
नगर निगम, लखनऊ

वर्ष 2014 से तीनों पार्किंग स्थलों के पूर्णकालिक संचालन प्रारम्भ हो जाने के पश्चात आय रु0 1.0 करोड़ से रु0 1.26 करोड प्रत्येक वर्ष बढ़ती रही है एवं संचालन व्यय भी इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष बढ़ते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से शुद्ध आय (आय–व्यय) में कमी होती रही है। प्रतिशत अन्तर से स्पष्ट है कि नगर निगम को शुद्ध आय के रूप में मात्र 38.88 प्रतिशत से निरन्तर ह्रास होते हुए इस वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर 2017) 29.56 प्रतिशत शुद्ध आय प्राप्त हुई है। इसी के अनुसार कन्शेसन फीस के रूप में कुल प्राप्त राजस्व के अधिकतम प्रतिशत एवं न्यूनतम रु0 40.00 लाख की कन्सेशन फीस प्रदान करने वाली फर्म को चयनित किये जाने की अर्हता के अनुसार M/s Building Control Solutions India Pvt Ltd, Banglore द्वारा प्रदत्त 42 प्रतिशत की कन्सेशन फीस की स्वीकृति विचारणीय है, जिसके अनुसार वर्ष 2016–17 की अब तक प्राप्त सर्वाधिक आय रु0 126.65 लाख के 42 प्रतिशत कन्सेशन फीस के रूप में रु0 53.19 लाख की न्यूनतक आय नगर निगम को प्राप्त होती।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार स्मार्ट सॉल्युशन प्रभावी किये जाने के पश्चात् इन तीनों पार्किंग स्थलों की कुल आय में वृद्धि अवश्यभावी है एवं तद्नुरूप नगर निगम को शुद्ध आय के रूप में 42 प्रतिशत की कन्सेशन फीस के आधार पर अधिक धनराशि प्राप्त होगी। स्पष्ट है कि इन पार्किंग स्थलों से शुद्ध आय के रूप में 2013 से अब तक अवधि में प्राप्त धनाशि से काफी अधिक धनाशि नगर निगम को प्राप्त होने के आधार पर स्मार्ट पार्किंग सॉल्युशन कन्सेशनेयर के माध्यम से कराया जाना नगर निगम को लाभकारी होगी।

तद्नुसार मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 02.02.2018 के क्रम में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/—
परियोजना प्रबन्धक

ह0/—
अपर नगर आयुक्त

ह0/—
नगर आयुक्त

संकल्प संख्या (19) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु मा0 सदन को संदर्भित किया गया।

अन्य प्रस्ताव सं0 (2) :— मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, आशुलिपिक, नगर आयुक्त कार्यालय की पत्नी के इलाज में व्यय हुए रु0 2,15,965.00 (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ पैंसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या दिनांक 17.01.2018, अपर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 18.01.2018 तथा नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 23.01.2018 के क्रम में आख्या मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

२०
संकल्प संख्या (336) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् मा0 अध्यक्ष ने बैठक अनिश्चित काल तक लिए स्थगित करने की घोषणा की।

(संयुक्ता भाटिया) महापौर
अध्यक्ष/महापौर नगर निगम, लखनऊ
मा0 कार्यकारिणी समिति।

Scanned by CamScanner